बिहार सरकार
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

पत्रांकः–6/मुक0–1020/2013– 2323 पटना, दिनांकः– 3-12-14

सेवा में,

महालेखाकार
बिहार, पटना।

विषयः– राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम–NRDWP के अन्तर्गत लोक स्वास्थ्य प्रमण्डल, जमुई में 961 बन्द चापाकलों की विशेष मरम्मति/पुनर्स्थापन/जिर्णोद्धार कराकर चालू करने हेतु 315.672 लाख रूपये पर स्वीकृत योजना के अन्तर्गत योजना के किये गये कार्यों के भुगतान के लिए राज्य वार्षिक योजना के तहत अतिरिक्त 16.2326 लाख (सोलह लाख तेईस हजार दो सौ साठ रूपये मात्र) रूपये का व्यय करने की स्वीकृति।

आदेशः– राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम–NRDWP के अन्तर्गत लोक स्वास्थ्य प्रमण्डल, जमुई में 961 बन्द चापाकलों की विशेष मरम्मति/पुनर्स्थापन/जिर्णोद्धार कराकर चालू करने हेतु 315.672 लाख रूपये पर स्वीकृत योजना के अन्तर्गत योजना के किये गये कार्यों के भुगतान के लिए राज्य वार्षिक योजना के तहत अतिरिक्त 16.2326 लाख (सोलह लाख तेईस हजार दो सौ साठ रूपये मात्र) रूपये का व्यय करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. इस योजना की स्वीकृति विभागीय ज्ञापांक– 6/वि02–1014/2009–2370, पटना, दिनांक–23.12.2009 के द्वारा 315.672 लाख रूपये पर राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अन्तर्गत दी गई थी। इय योजना के अन्तर्गत किये गये कार्यों के भुगतान हेतु 16.2326 लाख रूपये की अतिरिक्त आवश्यकता है। राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत योजनाओं के कार्यान्वयन में लागत राशि में वृद्धि होने पर इसका वहन राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम अन्तर्गत नहीं किया जाना है। इस आलोक में योजना की लागत राशि में बढ़ी हुई राशि का वहन राज्य योजना मद के अन्तर्गत स्वीकृत की जा रही राशि से किया जायेगा।

3. उक्त राशि का व्यय राज्य योजना मद के मुख्य शीर्ष–4215–जलपूर्ति तथा सफाई एवं पूँजीगत परिव्यय, उपमुख्य शीर्ष 01–जल पूर्ति, लघु शीर्ष 102– ग्रामीण जल पूर्ति, माँग संख्या–36, उप शीर्ष 0103–ग्रामीण जलापूर्ति योजना (टयूबवेल्स, कूप, नलकूप द्वारा), विपत्र कोड P4215011020103, राज्य योजना स्कीम कोड–PUB–5352, विषय शीर्ष – 53 01 मुख्य निर्माण कार्य मतदेय शीर्ष से वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिए प्रावधानित राशि से विकलनीय होगा।

4. स्वीकृत राशि के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमण्डल, जमुई होंगे। राशि की निकासी जमुई कोषागार, जमुई से की जायेगी। योजना पर होनेवाला व्यय स्वीकृत राशि तक सीमित रहेगा।

5. इसके नियंत्री पदाधिकारी अभियंता प्रमुख–सह–विशेष सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग होंगे।

6. योजना एवं गैर योजना मदों में स्कीमों की स्वीकृति हेतु शक्तियों का प्रत्यायोजन से संबंधित वित्त विभाग के संकल्प संख्या–एम4–53/2007–96 वि0 (2) दिनांक– 03.01.08 के आलोक में इस योजना की स्वीकृति दी जाती है।

7. वर्ष 2014–15 के वार्षिक योजना उद्व्यय एवं योजना बजट में इसके लिए प्रावधान है।

8. इस पर आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

विश्वासभाजन

(विवेक कुमार सिंह)
प्रधान सचिव

ज्ञापांकः– 2323 पटना, दिनांक– 3.12.14

प्रतिलिपिः–

1. वित्त विभाग (बजट शाखा)/जिला पदाधिकारी, जमुई/ जमुई कोषागार पदाधिकारी, जमुई को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. मुख्य अभियंता, नागरिक/मुख्य अभियंता, यांत्रिक/कार्यपालक अभियंता (मो0)/उप निदेशक (मू0)/सहायक अभियंता (मो0)/कम्प्यूटर प्रोग्रामर/आई0टी0/मैनेजर/प्रशाखा– 6, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3. क्षेत्रीय मुख्य अभियंता, भागलपुर/अधीक्षण अभियंता, मुंगेर/कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमण्डल, जमुई को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(विवेक कुमार सिंह)
प्रधान सचिव